लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धूमाकोट (पौड़ी गढ़वाल) के अवधि माह 05/2012 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री आर॰ एन॰ यादव (स॰ले॰प॰आ॰) एवं श्री अशोक कुमार (स॰ले॰प॰आ॰) द्वारा दिनांक 13/06/2016 से 17/06/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धूमाकोट (पौड़ी गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

प्रस्तावनाः-

1. प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 05/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

2. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा।

श्री मो॰ इमरान अंसारी दिनांक 12.07.10 से वर्तमान तक

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कंडिकाओं की स्थिति निमन्वत थी:-

वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या		'अ' कण्डिकाएं	
	प्रथम लेखापरीक्षा		2अ	2B
			शून्य	

4. **अप्रस्तुत अभिलेख :** – शून्य

5. **सतत अनियमिततायें : –** शून्य

6. **बजट आवंटन :-** **(धन राशि ` लाखो में)**

	आयोजनागत (Plan)		**आयोजनेतर** (Non-Plan)	
वित्तीय वर्ष	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2012-13	176.51	153.10	5.35	5.35
2013-14	131.39	192.26	160.32	160.32
2014-15	48.42	80.21	175.53	175.53

2015-16	181.24	166.47	149.93	149.93
2016-5/2016 तक	0.00	37.96	66.69	30.27

भाग 2'ब'

प्रस्तर-1 रायल्टी के रूप मे शासन को ` 52137 का कम भुगतान करने से राजस्व हानि

उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 62/VII-11-13/24ख/2007 दिनांक 18.01.13 द्वारा उत्तराखंड उपखनिज (परिहार) संशोधन नियमावली 2013 द्वारा नदी तल से भिन्न स्थानो से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स आदि एवं विहित प्रायोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न नदी तल मे उपलब्ध साधारण बालू आदि के लिए रायल्टी की दर को क्रमश ` 40 व ` 45 प्रति घनमीटर से बढ़ाकर `80 व `90 प्रति घनमीटर कर दिया गया था।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धूमाकोट के अभिलेखो की लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया की कुछ निर्माण कार्यो में कार्यालय द्वारा रेत व पत्थर की रायल्टी का नई प्रवृत्त दर से भुगतान नहीं किया गया था अथवा भुगतान किया ही नहीं गया था। (विवरण संलगन) जिससे कि राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप मे `52137 की कम राजस्व प्राप्ति हुई। प्रकरण अंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया की शासकीय अधिसूचना देर से प्राप्त होने के कारण कम दर से रॉयल्टी काटी गयी थी, जिन परियोजनाओं में रॉयल्टी नहीं काटी गयी उनमे कृषकों द्वारा स्वंय की भूमि पर कार्य कराये गए तथा पत्थर उपलब्द कराये गये। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अपिश मे नई दरें तुरंत प्रभावी थी। साथ ही किसी भी उपखनिज पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित हैं।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर:-1 योजना के वर्षवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य की पूर्ति मे कमी।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट के अभिलेखों के योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-2016 के विश्लेषण मे पाया गया की वर्ष 2012-13 मे योजनाओं के कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य 4785.08 हेक्टेअर के सापेक्ष मात्र 3342.27 हेक्टेअर भौतिक लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी। इस प्रकार योजनाओं के कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य की पूर्ति में 30.16% की कमी रही। वर्ष 2013-14 में योजनाओं के कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य 2273.33 हे॰ के सापेक्ष मात्र 1368.33 हे॰ भौतिक लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी, इस प्रकार योजनाओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्य की पूर्ति में 39.81% की कमी रही। वर्ष 2014-15 में योजनाओं के कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1095.00 हे॰ के सापेक्ष मात्र 714.13 हे॰ भौतिक लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी, इस प्रकार योजनाओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्य की पूर्ति में 34.78% की कमी रही।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि वर्ष 2012-13 में उपलब्द लक्ष्यों के सापेक्ष 70% की पूर्ति क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी होने के कारण हुई। भविष्य में लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति की जाएगी।

इकाई के उत्तर मे स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है तथापि कई वर्षो से योजनाओं के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति में कमी आ रही थी परन्तु इकाई द्वारा प्रगति बढ़ाने के कोई उचित कदम नहीं उठाये गए, जिससे कि भौतिक प्रगति को बढ़ाया जा सके तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धूमाकोट (पौड़ी गढ़वाल)**को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II